International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

भारत शासन अधिनियम – 1935: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

मोनिका
एम.ए., एम.फिल, एवं नेट (राजनीति विज्ञान)

शोध आलेख सार: वस्तुतः 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इस अधिनियम के निर्माण से भारत में एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। चूंकि 1919 के अधिनियम से भारतीय जनता नाराज थी और उसका विरोध कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने किया था। इसी गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साईमन कमीशन की नियुक्ति करके उसे भारत भेजा। जब 1930 में साईमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो उसका भी भारतीयों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। इस पृष्ठभूमि में 1930, 1931 तथा 1932 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इनमें से गांधी जी ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया और अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम–1935 पारित हुआ। प्रस्तुत शोध पत्र भारत सरकार अधिनियम–1935 की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालता है और स्पष्ट करता है कि इसके द्वारा भारत में एक उतरदायी शासन प्रणाली की स्थापना की दिशा मे प्रगति हुई।

मूलशब्द: संवैधानिक विकास, साईमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, भारत सरकार अधिनियम, उत्तरदायी शासन, संघीय कार्यपालिका, संघीय विधानपालिका, संघीय न्यायालय, प्रांतीय स्वायत्ता।

भूमिका: भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए पूर्ववर्ती सभी अधिनियमों से लम्बा और जटिल प्रलेख था, जिसमें 321 धाराऐं तथा 10 परिशिष्ट

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

शामिल थे। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के ढांचे के बारे में व्यापक प्रावधान किए गए थे। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च स्थान मिला हुआ था और इसमें प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना की व्यवस्था भी थी। केन्द्र में भी दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर दी गई और इस अधिनियम में प्रथम बार भारतीय रियासतों को संघीय व्यवस्था में शामिल करने का प्रयास किया गया। शक्ति विभाजन की दृष्टि से भी यह अधिनियम काफी महत्वपूर्ण था और इसके द्वारा मताधिकार का विस्तार भी किया गया। परन्तु साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करके इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने हिन्दू–मुस्लिम एकता को कमजोर करने की चाल चली और वे इसमें सफल भी रहे। इसी कारण आगे चलकर भारत का विभाजन हुआ।

1935 के अधिनियम में संघीय कार्यपालिका: इस अधिनियम के द्वारा केन्द्र में आंशिक रूप से उतरदायी सरकार की स्थापना की गई। इसके अन्तर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी सम्बन्ध, चर्च आदि से सम्बन्धित मामले संरक्षित विषयों में रखे गए और इनका प्रशासन करने की जिम्मेवारी गवर्नर जनरल को दे दी गई। इन विषयों के बारे में उसे किसी मंत्री की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं थी। संघीय कार्यपालिका एक अनुत्तदायी निकाय था और हस्तांतरित विषयों के प्रशासन का भार मंत्री परिषद को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था में सभी मंत्री संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। इसमें संघीय कार्यपालिका में गवर्नर जनरल और वॉयसराय, कार्यकारिणी परिषद तथा मंत्री परिषद को शामिल किया गया। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सम्राट का व्यक्तिगत प्रतिनिधि माना गया, जिसके कंधे पर भारत में ब्रिटिश हितों की रक्षा का उत्तरदायित्व डाला गया। इस अधिनियम ने उसे कुछ स्वेच्छाचारी अधिकार दिए। इसके अन्तर्गत वह किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति कर सकता था और आवश्यकता पड़ने पर संघीय सभा का अधिवेशन बुला सकता था। उसकी स्वीकृति के बिना संघीय विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधयेक कानून

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

का रूप नहीं ले सकता था। वह अपनी इच्छा से किसी भी मंत्री को हटा सकता था और आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश भी जारी कर सकता था। इस अधिवेशन में गवर्नर जनरल को निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे गए:–

- भारत के किसी भी भाग में उत्पन्न अशांति या उसकी आशंका को रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाना।
- अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना।
- सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारियों के अधिकारों की रक्षा करना।
- संधीय सरकार की आर्थिक स्थिरता तथा उसकी साख की रक्षा करना।
- भारत में रहने वाले ब्रिटिश व्यापारियों के हितों का संरक्षण करना।
- देशी रियासतों के अधिकार तथा उनके शासकों की मान–मर्यादा की सुरक्षा करना।
- भारत में बाहर से आने वाले माल की आवाजाही सुनिश्चित करना।

संघीय विधानपालिका की व्यवस्था : इस अधिनियम के तहत भारत में संघीय विधानपालिका की व्यवस्था की गई। इसके उच्च सदन को राज्यसभा तथा निम्न सदन को संधीय सभा का नाम दिया गया। संधीय सभा जनता की प्रतिनिधि संस्था थी, जबकि राज्यसभा में विभिन्न ईकाईयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 260 थी और इनमें से 156 सदस्य ब्रिटिश भारत के तथा 104 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। ब्रिटिश भारत के 156 प्रतिनिधियों में से 150 का चुनाव प्रत्यक्ष करवाने की व्यवस्था थी तथा 6 सदस्यों को गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। शेष 104 सदस्यों का निर्वाचन देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष रखा गया और इसके 1/3 सदस्य हर 3 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते थे, परन्तु इसमें सीमित मताधिकार की व्यवस्था

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

होने से केवल धनी व्यक्ति ही इसके सदस्य बनते थे। इसका दूसरा सदन संघीय सभा 375 सदस्यीय था। इनमें से 250 सदस्य ब्रिटिश भारत के तथा 125 सदस्य देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते थे। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता था।

संघीय विधानपालिका, संघ सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बना सकती थी, यदि संघीय तथा प्रान्तीय कानून में कोई विरोध होता था तो संघीय कानून को प्राथमिकता मिलती थी। वास्तव में संघीय कार्यपालिका को प्रान्तों तथा कमिश्नरों को कानून बनाने का अधिकार था। यह सभा देशी राज्यों के लिए केवल सम्बन्धित राज्यों की प्रार्थना पर ही कानून बना सकती थी। किसी भी विधेयक को कानूनी रूप देने के लिए उसका दोनों सदनों में पास होना अनिवार्य था और अंत में उस पर गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर अनिवार्य थे। किसी भी विषय पर मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था भी थी। हस्तांतरित विषयों के सन्दर्भ में मंत्रिमंडल संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी था तथा संघीय सभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती थी। संघीय विधानपालिका को कई विषयों के बारे में वित्तिय अधिकार भी प्राप्त थे। बजट के बारे में विधानमंडल को बहस करने का अधिकार तो था, लेकिन कटौती करने का अधिकार उसे नहीं दिया गया। यह अधिकार केवल 20 प्रतिशत व्यय पर ही उसे दिया गया था और गवर्नर जनरल उस कटौती को दोबारा स्वीकार कर सकता था।

इस तरह संघीय विधानपालिका कानून निर्माण के क्षेत्र में काफी शक्तिशाली थी, फिर भी उसे भारत सरकार अधिनियम – 1935 के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया। वस्तुतः ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना वह किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकता था और उसकी समप्रभुता ब्रिटिश सम्राट के हाथों में थी। गवर्नर जनरल की इच्छा के बिना वह

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकता था। इसलिए इस व्यवस्था को प्रजातन्त्र के विरूद्ध माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें केवल अमीर लोगों को ही प्रतिनिधित्व मिलता था, फिर भी भारत में संवैधानिक विकास की दृष्टि से इसे उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है।

संघीय न्यायालय : इस अधिनियम के द्वारा भारत की विभिन्न संघीय ईकाईयों के आपसी विवादों तथा उनके केन्द्र के साथ मतभेदों का निपटारा करने एवं संविधान की व्याख्या करने की दृष्टि से एक संघीय न्यायलय की व्यवस्था की गई। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायधीश तथा 6 अन्य न्यायधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई तथा यह नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा करने की व्यवस्था थी। इसमें न्यायधीशों को स्वतंत्रता प्रदान करने का भी प्रावधान था और इसमें न्यायधीशों के लिए कुछ योग्यताऐं भी निर्धारित की गई। प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के रूप में संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम –1935 की व्याख्या कर सकता था। इसे देशी राज्यों के उच्च न्यायलय के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनने का भी अधिकार मिला हुआ था। गवर्नर जनरल किसी भी संवैधानिक या कानूनी मामले पर इससे सलाह मांग सकता था। यह एक अभिलेख न्यायालय था जो अपने समस्त निर्णयों को रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रखता था और उन्हें प्रकाशित भी करवाता था। फिर भी इसे सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके निर्णयों के खिलाफ प्रिवी परिषद की न्याय समिति के सामने अपील की जा सकती थी और सभी न्यायधीश ब्रिटिश सम्राट के अधीन थे। बाद में इसी न्यायलय को भारत का सर्वोच्च न्यायलय बना दिया गया।

प्रांतीय स्वायत्ताः इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रान्तों को अलग वैधानिक अस्तित्व प्रदान किया गया। इसमें प्रान्तीय सरकारों को विधायी, प्रशासकीय तथा वितिय क्षेत्रों

में स्वायत्ता दी गई। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकार को केन्द्र से अलग रखा गया तथा प्रान्तों से दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के निर्माण से ब्रिटिश प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई और केन्द्र तथा प्रान्तों में शक्ति विभाजन की तीन सूचियां बनाई गई। इसमें गवर्नर को संवैधानिक प्रधान का दर्जा दिया गया तथा मताधिकार का भी विस्तार किया गया। प्रान्तीय स्वायत्ता को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रान्तों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई तथा प्रान्तों में असैनिक सेवाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई।

यद्यपि प्रान्तीय स्वायत्ता को स्वीकार तो कर लिया गया परन्तु गवर्नर को वास्तविक प्रधान बनाकर उसपर कुठाराघात भी किया गया क्योंकि गवर्नर को यह अधिकार था कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके उत्तरदायी सरकार को ध्वस्त कर सकता था। वह मंत्रियों को निर्देश दे सकता था, किसी भी विधयेक पर बहस करवा सकता था तथा अध्यादेश भी जारी कर सकता था। कुछ राजनैतिक विद्वानों का मानना है कि वास्तव में प्रांतीय सरकारें केन्द्र के नियंत्रण में ही रखी गई।

सारांशः अंततः भारत सरकार अधिनियम उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया तथा भारत सचिव की स्थिति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसमें केन्द्र में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई तथा प्रान्तों को स्वायत्ता देने की दिशा में कुछ प्रयास भी किए गए। इस अधिनियम के द्वारा केन्द्र में संघीय योजना लागू की गई और एकात्मक शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इसमें भारत के लिए एक लिखित संविधान तथा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भी की गई। फिर भी आलोचकों का मानना है कि प्रांतीय स्वायत्ता के नाम पर यह अधिनियम जनता के साथ धोखा था और इसमें मंत्रियों की स्थिति शक्तिहीन थी।

पं. जवाहरलाल नेहरू ने प्रांतीय स्वायत्ता को दासता का नया दस्तावेज करार दिया, लेकिन इससे भारत में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई और कांग्रेस ने जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क करके एक ऐसी प्रेरक शक्ति का कार्य किया जो भावी संविधान निर्माण की दिशा में एक कारगर कदम सिद्ध हुआ।

सन्दर्भ सूची:

- ओ.पी.नागपाल, **भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, संवैधानिक विकास और संविधान,** कमल प्रकाशन दिल्ली, 1974.
- विश्वमित्र उपाध्याय, **भारत का मुक्ति संघर्ष और रूसी क्रांति,** नवयुग पब्लिशर्स, दिल्ली, 1989.
- बिजेन्द्र पाल सिंह, **भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन,** निर्मल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1998.
- विपल्व, **भारतीय शासन एवं राजनीति,** सन्दर्भ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2010.
- मनोज सिन्हा, **समकालीन भारत : एक परिचय**, ओरिएण्ट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, 2012.
- आर.सी.अग्रवाल एवं महेश भटनागर, **भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन,** एस. चन्द एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, 2013.
- रजनी कोठारी, **भारत में राजनीति**, ओरियंट ब्लैक स्वॉन, नई दिल्ली, 2015.
- बी.एल.फाडिया एवं पुखराज जैन, **भारतीय शासन एवं राजनीति,** साहित्य भवन, आगरा, 2016.